दिनांक 19.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 19/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>वीमेन पावर लाइन 1090 द्वारा की गई कार्यवाही</u>

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0/वीमेन पावर लाइन 1090 द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है, जिसका पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 द्वारा किया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान में कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही प्रचलित है।

वर्ष 2022 में वीमेन पावर लाइन 1090 द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

- वीमेन पावर लाइन 1090 पर वर्ष 2022 में **दिनॉक: 01.01.2022 से दिनॉक:30.06.2022 तक कुल 1,89,004 शिकायतें प्राप्त** हुई, जिसमें अभी तक 1,68,419 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका हैं। कुल दर्ज शिकायतों में से 85,331 शिकायतें फोन बुलिंग, साइबर बुलिंग आदि से सम्बन्धित है। इनके अतिरिक्त शेष शिकायतें अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित होने के कारण जनपदीय पुलिस, जीआरपी, यूपी-112 को अन्तरित कर 1090 से उनका फालोअप कर एटीआर प्राप्त की जा रही है। अब तक लगभग 95 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष शिकायतें शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया में है।

- 1090 के **साइबर सेल** द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध बनाये जाने हेतु सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत 1090 के साइबर सेल को सुदृढ़ीकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत अत्याधुनिक **साइबर फॉरेन्सिक टूल्स** का उपयोग करते हुये इस प्रकार के शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। **दिनॉक: 01.01.2022 से 30.06.2022 तक कुल-32,603 शिकायतें** इस सन्दर्भ में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष शिकायतें शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया में है।

- **दिनांकः 01.01.2022 से दिनॉकः 30.06.2022 तक दर्ज 3,490 शिकायतों में एफ0एफ0आर0(फैमिली, फ्रेन्डस, रिलेटिव) काउन्सलिंग कर पीड़िता को राहत पहुॅचायी गयी।**
- हार्ड केसेज में सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट प्रेषित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए **जून 2020 से अब तक 1090 की विशेष टीम (हार्ड केस कैकिंग टीम) द्वारा 16 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 643 शिकायतों का निस्तारण** कराया जा चुका है।
- पारिवारिक विवाद के प्रकरणों में वीमेन पावर लाइन द्वारा आन लाइन फैमिली काउन्सलिंग सेवा का आरम्भ दिनॉकः 17.10.2020 से प्रारम्भ की गयी, जिसमें **दिनांकः 01.01.2022 से 30.06.2022 तक 2,405 प्रकरणों में काउन्सलिंग मनोचिकित्सकों/काउन्सलर्स के माध्यम से कराई गयी है।**
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में **पॉक्सो अधिनियम** के अभियोगों की विवेचना के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा प्रत्येक जनपद/कमिश्नरेट से विवेचकों (राजपत्रित/अराजपत्रित) को नामित कराकर ऑन लाइन पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षण सम्पादित कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में नामित समस्त विवेचकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाना है।
- प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में **एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग** के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। अभियान के दौरान कुल—103 बच्चों का रेस्क्यू कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (POSH) के विषय में जागरूता एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न कार्पोरेट्स व औद्योगिक इकाईयों के साथ एक पैनल डिस्कशन दिनॉकः 28.06.2022 को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ में सम्पन्न कराया गया।
- इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा कार्य योजना के अनुरूप विभिन्न कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद अमरोहा/थाना सैदनगली

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)बरामद**

दिनांक 18/19.07.2022 को थाना सैदनगली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढबारसी रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मो0 उमर उर्फ गटुवा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद अमरोहा के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हसनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–767/2018 धारा 302 भादवि के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 01 लाख रूपये का इनाम घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सैदनगली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मो0 उमर उर्फ गटुवा निवासी कालाखेडा थाना हसनगंज जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद भदोही/थाना औराई

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त एवं 15—15 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के लूटा हुआ ट्रेलर (ट्रक) सहित 40 टन सरिया**
- **घटना में प्रयुक्त लूटी हुई आर्टिका कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18/19.07.2022 को थाना औराई, थाना भदोही व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर औराई बस स्टैण्ड के पास चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—बब्बल उर्फ शिवांशु 2—आदर्श उर्फ शुभम 3—अंकित 4—कृष्ण कुमार उर्फ सचिन 5—मोनू उर्फ मोना 6—राहुल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। अन्य दो अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के लूटा हुआ ट्रेलर (ट्रक) सहित 40 टन सरिया, घटना में प्रयुक्त लूटी हुई आर्टिका कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.07.2022 की रात्रि थाना औराई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना औराई पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रेलर (ट्रक) सहित सरिया उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त बब्बल उर्फ शिवांशु के विरूद्ध जनपद गाजीपुर, भदोही, प्रयागराज एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त बब्बल उर्फ शिवांशु, आदर्श उर्फ शुभम, अंकित, कृष्ण कुमार उर्फ सचिन, मोनू उर्फ मोना जनपद भदोही से वांछित चल रहे थे, जिसमें अभियुक्त बब्बल उर्फ शिवांशु, आदर्श उर्फ शुभम की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये एवं अभियुक्त

अंकित, कृष्ण कुमार उर्फ सचिन व मोनू उर्फ मोना की गिरफ्तारी हेतु 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना औराई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बब्बल उर्फ शिवांशु निवासी समहन थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

2–आदर्श उर्फ शुभम निवासी औता थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

3–अंकित निवासी चन्दापुर हमौरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

4–कृष्ण कुमार उर्फ सचिन निवासी औता थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

5–मोनू उर्फ मोना निवासी महुआरी थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज।

6–राहुल निवासी समहन थाना मेजा जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत के लूटा हुआ ट्रेलर ट्रक सहित 40 टन सरिया।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त लूटी हुई आर्टिका कार।

जनपद सम्भल/थाना नखासा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 19.07.2022 को थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ठंडी कोठी रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बमादश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमे एक आरक्षी घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ

कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुलेमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना नखासा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 269/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नखासा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुलेमान निवासी खडिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर, हालपता मो0शहबाजपुरा थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद हरदोई/थाना कासिमपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **लूटे गये माल बिक्री के 13 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 18.07.2022 को थाना कासिमपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटान मोड़ के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को

रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–पवन कुमार 2–सतेन्द्र घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–बण्टी उर्फ राजू 4–विवेक उर्फ राहुल सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने–चाँदी के आभूषण (20 ग्राम सोना, 01 किलो 754 ग्राम चाँदी), लूटे गये माल बिक्री के 13 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त पवन कुमार के विरूद्ध जनपद हरदोई, कमिश्नरेट लखनऊ, कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 29 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 15.06.2022 को थाना कासिमपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कासिमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कासिमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–पवन कुमार निवासी दण्डबल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़, हालपता दुर्गा बिहार ताड बगिया जाजमऊ थाना जाजमऊ कानपुरनगर

2–सतेन्द्र निवासी टिकारगाँव थाना हरपालपुर जनपद हरदोई।

3–बण्टी उर्फ राजू निवासी गंजमुरादाबाद थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव।

4–विवेक उर्फ राहुल निवासी अलमापुर थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण (20 ग्राम सोना, 01 किलो 754 ग्राम चाँदी)।

2–लूटे गये माल बिक्री के 13 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 कार।

<u>जनपद बलिया/थाना रेवती</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की भारी मात्रा में सोने के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 80 हजार 300 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 19.07.2022 को थाना रेवती पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना रेवती क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में 05 शातिर अभियुक्तों 1–मनोज कुमार 2–प्रदीप उर्फ गोलू 3–दीपक कुमार 4–सुनील उर्फ भुअर 5–मुकेश को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में सोने के आभूषण, 01 लाख 80 हजार 300 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। थाना रेवती क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रेवती पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की कई घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रेवती पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनोज कुमार निवासी वार्ड नं0—4 रेवती थाना रेवती जनपद बलिया।

2—प्रदीप उर्फ गोलू निवासी पहेसर थाना पकड़ी जनपद बलिया।

3—दीपक कुमार निवासी वार्ड नं0—9 रेवती थाना रेवती जनपद बलिया।

4—सुनील उर्फ भुअर निवासी वार्ड नं0—7 उत्तर टोला थाना रेवती जनपद बलिया।

5—मुकेश निवासी बलेसरा थाना गड़वार जनपद बलिया।

बरामदगी

1—चोरी की भारी मात्रा में सोने के आभूषण।

2—01 लाख 80 हजार 300 रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की सोने व चॉदी के आभूषण**
- **02 लाख 25 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 02 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 19.07.2022 को थाना अकबरपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना अकबरपुर क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1—राजेन्द्र 2—नन्दकिशोर उर्फ नन्दू 3—सज्जन 4—बृजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने व चॉदी के आभूषण, 02 लाख 25 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त राजेन्द्र, नन्द किशोर उर्फ नन्दू के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 10—10 अभियोग, अभियुक्त सज्जन, बृजेश कुमार के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट के 09—09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेन्द्र निवासी ग्राम नन्दपुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

2—नन्दकिशोर उर्फ नन्दू निवासी ग्राम नन्दपुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

3—सज्जन निवासी ग्राम नन्दपुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

4—बृजेश कुमार निम्झना थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

बरामदगी

1—चोरी की सोने व चॉदी के आभूषण।,

2—02 लाख 25 हजार रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 02 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना चोला

- **15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 18/19.07.2022 को थाना चोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना चोला क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—सुल्तान सहित अभियुक्त 2— राजू को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुल्तान के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना चोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0–48/2022 धारा 307 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चोला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुल्तानपुर निवासी ग्राम कौराली थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।

2–राजू निवासी ग्राम कौराली थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना कुरावली

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.07.2022 को थाना कुरावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुरावली बस स्टैण्ड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुरावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/2021 धारा 363/366/376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुरावली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रोहित निवासी नगला कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जेवर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख रूपये कीमत के 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 आयशर कैन्टर (फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 18.07.2022 को थाना जेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिवा ढाबा से आगरा जाने वाली एक्सप्रेस से चेकिंग के दौरान अभियुक्त रिंकू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख रूपये कीमत के 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 आयशर कैन्टर(फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जेवर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रिंकू निवासी ग्राम भामासी थाना राजगढ़ जनपद चुरू, राजस्थान।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 02 लाख रूपये कीमत के 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 आयशर कैन्टर(फर्जी नम्बर प्लेट)।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 51 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना जानसठ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हैदर अली को आजीवन कारावास व 51 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————